भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

आर्थिक कार्य विभाग

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2700

(जिसका उत्तर सोमवार, दिनांक 17 मार्च, 2025/26 फाल्गुन,1946 (शक) को दिया जाना है।)

बुनियादी ढांचे के विकास में क्षेत्रीय असमानताएं

2700. डॉ. कलानिधि वीरास्वामी:

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास बजटीय आवंटन में वृद्धि के बावजूद बुनियादी ढांचे के विकास में क्षेत्रीय असमानताओं की लगातार बनी हुई चुनौतियों का समाधान करने की योजना है;

(ख) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं कि बुनियादी ढांचे के विकास का लाभ वंचित क्षेत्रों, विशेषकर ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों तक पहुंच सके; और

(ग) शहरी क्षेत्रों में किफायती आवास तक पहुंच में सुधार के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर

वित्त राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) और (ख) सरकार, सार्वजनिक पूंजीगत व्यय (केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) के प्रभावी पूंजीगत व्यय और आंतरिक एवं बजटेतर संसाधन (आईईबीआर) सहित) को वित्त वर्ष 2014-15 में ₹5.57 लाख करोड़ से वित्त वर्ष 2025-26 (बजट अनुमान) में ₹19.80 लाख करोड़ करके, जो पिछले दशक की तुलना में तीन गुना से अधिक की बढ़ोत्तरी है, देश भर में अवसंरचना के विकास को बढ़ावा दे रही है। सरकार पहले से ही बहु-क्षेत्रीय पहलों जैसे कि उड़े देश का आम नागरिक (उड़ान), पूर्वोत्तर के लिए विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम (एसएआरडीपी-एनई), पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री विकास पहल (पीएम-डीईवीआईएनई), प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई), आकांक्षी जिला कार्यक्रम, आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई), जल जीवन मिशन, जीवंत ग्राम कार्यक्रम (वीवीपी), पूर्वोत्तर विशेष अवसंरचना विकास योजना (एनईएसआईडीएस), वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के लिए सड़क संपर्क परियोजना (आरसीपीएलडब्ल्यूई), एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस) और भारतनेट इत्यादि, क्रियान्वित कर रही है ताकि सभी क्षेत्रों में अवसंरचना का विकास किया जा सके।

(ग) भारत सरकार ने शहरी क्षेत्रों में वहनीय आवास तक पहुँच में सुधार के लिए कई उपाय लागू किए हैं। संविधान के अनुच्छेद 243ब के प्रावधानों के अनुसार तथा सातवीं और बारहवीं अनुसूचियों के संयोजन में, शहरी विकास संबंधी मामले राज्य/शहरी स्थानीय निकायों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। यद्यपि, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) अपने विभिन्न प्रमुख मिशनों/कार्यक्रमों अर्थात प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू और पीएमएवाई-यू 2.0), अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत और अमृत 2.0), स्वच्छ भारत मिशन-शहरी (एसबीएम-यू और एसबीएम-यू 2.0), स्मार्ट सिटीज मिशन (एससीएम) आदि के माध्यम से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) को उनके शहरी विकास एजेंडा में कार्यक्रम संबंधी सहायता प्रदान करता है।

इसके अतिरिक्त, 'भूमि' और 'बसावट' राज्य के विषय हैं। इसलिए, नागरिकों के लिए आवासन संबंधी योजनाएं राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा कार्यान्वित की जाती हैं। हालांकि, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, 'सभी के लिए आवास' के विजन के अंतर्गत, देश भर में पात्र शहरी लाभार्थियों को बुनियादी नागरिक सुविधाओं के साथ पक्के घर उपलब्ध कराने के लिए दिनांक 25.06.2015 से प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) के तहत केंद्रीय सहायता प्रदान करके राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) के प्रयासों को संपूरित करता है। दिनांक 03.03.2025 तक, मंत्रालय द्वारा देश भर में पीएमएवाई-यू के तहत 118.64 लाख मकान स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से 112.46 लाख मकानों की नींव रखी जा चुकी है और 90.60 लाख मकान पूरे किए या/ लाभार्थियों को वितरित किए जा चुके हैं।

आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने इस योजना को नया रूप दिया है और दिनांक 01.09.2024 से पीएमएवाई-यू 2.0 'सभी के लिए आवास मिशन' का शुभारंभ किया है, ताकि चार खंडों अर्थात लाभार्थी आधारित निर्माण (बीएलसी), साझेदारी में किफायती आवास (एएचपी), किफायती किराया आवास (एआरएच) और ब्याज सब्सिडी योजना (आईएसएस) के माध्यम से 1 करोड़ अतिरिक्त पात्र शहरी लाभार्थियों की सहायता की जा सके। अब तक 29 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार पीएमएवाई-यू 2.0 को लागू करने के लिए समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर कर चुके हैं। पीएमएवाई-यू 2.0 के प्रचालन दिशानिर्देश दिनांक 17.09.2024 को जारी किए गए हैं। ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने के लिए और प्रचालन दिशा-निर्देश एकीकृत वेब पोर्टल https://pmay-urban.gov.in पर एक्सेस किया जा सकता है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) को पीएमएवाई-यू 2.0 के तहत 6.12 लाख घरों के आवंटन के लिए 'सैद्धांतिक' मंजूरी दे दी गई है।

*****